न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 128/2021

वाद पत्र अं0 धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. पालाराम पुत्र मनीराम
2. ताराचन्द पुत्र मनीराम
3. गीतादेवी पत्नी कृष्णदत्त

} जाति समस्त जाट निवासीगण किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. कौशल्या पत्नी आत्माराम
2. विनोद कुमार पुत्र काशीराम

} जाति समस्त जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. मंजू पुत्री मोहनलाल
4. सरोज पुत्री मोहनलाल

} जाति समस्त जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. हजारी पुत्र नन्दराम जाति जाट
6. सुखाराम पि.मु. लिछमण जाति ब्राह्मण
7. भानाराम पुत्र सरदाराराम जाति ब्राह्मण

} निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नई धान मण्डी सादुलशहर
9. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा सादुलशहर
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा सादुलशहर
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अधिपवक्तागण :–

1. श्री कैलाश सिवंल –वकील वादीगण
2. श्री बन्टुश बिश्नोई –वकील प्रति.सं. 3व4

निर्णय दिनांक :– 13.8.24

वादीगण पालाराम वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के विरूद्ध यह राजस्व वाद घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 31.03.2021 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। ग्राम रासूवाला तहसील संगरिया के चक नं. 12 पी.टी.पी. के खाता स. 74/1 खाता हजारी वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 75/3 खाता भारू वगैरा में भारूराम, रूपाराम, अमीचन्द, तथा लिछमण उर्फ मनीराम पि. गोविन्दराम जाति जाट निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर के नाम सांझा खातो में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भारूराम वगैरा पि गोविन्दराम ने उक्त चक 12 पीटी.पी. के अपने कब्जाकाश्त की आराजी मे से प.नं. 112/133 मु.न. 7 किला न 1 ता 4/18 बिस्वा प्रत्येक. बिघा गै मु.रास्ता/8 बिस्वा यानि 6 बिघा तथा इसी चक ... 12/120 ... किला न. 1–2/18 बिस्वा प्रत्येक 9–10/2 बिघा गै मु.रास्ता/4 बिस्वा यानि ... बिघा कुल 10 बिघा आराजी जरिये रजि० वैयनामा दिनांक 7–2–1968 को सुरसती देवी पत्नी गनीराम जाति जाट निवासीकिशनपुरा उतराधा तह. संगरिया को बेचा ... दी थी। उक्त बैयनामा दिनाक 7–2–1968 की फोटोप्रति संलग्न है। उक्त बैयनामा मुताबिक उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद खरीददारा सुरसती देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:37:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्नी मनीराम के नाम दर्ज होकर तस्दीक हो चुका है तथा मुताबिक बैयनामा उक्त आराजी चक 12 पी.टी.पी के खाता स. 52/52 खाता हजारी वगैरा जस. 2044 में 80 हिस्सा तथा इसी चक के खाता स. 46/46 खाता सुरसती देवी ज.स. 2044 कुल 1.519 है० आराजी दर्ज हुई। सुरसती देवी पत्नी मनीराम के फौत होने के बाद उक्त आराजी जरिये विरास्तन इन्तकाल स. 209 दिनांक 20–7–2004 के मुताबिक उनके वारिसान वादी स 1 व 2 तथा प्रति स. 3 व 4 के नाम दर्ज हुई। उक्त इन्तकाल सं. 209 का नोट उक्त चक 12 पी.टी.पी. के खाता स. 56/52 तथा 62/57 ज.स. 2060–63 में अंकित है। जिसकी जमाबन्दीया संलग्न है। उक्त आराजी वर्तमान में चक 12 पी.टी.पी के खाता स. 49/45 खाता पालाराम वगैरा तथा खाता सं. 50/87 खाता पालाराम वगैरा ज.स. 2072–75 में वादीगण के नाम सांझा खातों में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कुल आराजी का विवरण निम्नप्रकार से है:–

चक 12 पी.टी.पी. खाता स 49/45 में दर्ज कुल 1.519 है० आराजी

चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 50/87 में दर्ज कुल 1.519 है० आराजी

दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी सुरसती देवी पत्नी मनीराम के फौत होने के बाद उनके वारिसान वादी स. 1 व 2 तथा प्रति स. 3 व 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीस 1 व 2 तथा प्रति स. 3 व 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रति स. 3 व 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रति स. 3 व 4 के नाम दर्ज आराजी के वादी स. 1 व 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिकी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एव दावेदार है। सांझा खातो की उक्त वादग्रस्त आराजी का हम वादीगण ने अन्य हिस्सेदारान के साथ काशत की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा खाला रास्ता की सुविधानुसार तथा अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक वादग्रस्त आराजी में प्रति स 5 ता 7 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। वादीगण को घरू बंटवारा मुताबिक निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई है तथा इसी मुताबिक हम वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है:–

(ए) वादी स 1 व 2 पालाराम ताराचन्द पि. मनीराम का ब.हि.ब. का हिस्सा

चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 49/45

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	3–4/0.228 है.प्र. गै मु/0.050 = 0.506 है0

चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 50/87

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
112/133	6	1–2–3/0.228,8–9–10/0.253प्र. गै.मु./.076= 1.519है

(ब) वादीया स. 3 गीता देवी पत्नी कृष्णदत का हिस्सा :–

चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 49/45

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	1/0.182, 10/0.202 गै.मु/0.020 =0.404 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.09.07 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान इसी अनुसार हमारा खाता अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये, बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीमेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1,2,8,9,10 की तलबी रजि. एडी से व प्रतिवादी सं. 5,6,7 की तलबी जरिये दैनिक सामाचार पत्र से करवाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1,2,5,6,7,8,9,10 को न्यायालय में बार–बार आवाजे लगाई गई इसके बावजूद हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 11 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 12 पी.टी.पी. खाता स 49/45 व चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 50/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 EX-1 To EX-2 प्रदर्श हुए। राजस्थान कोलोनाईजेशन विभाग के दस्तावेज EX-3 To EX-5 प्रदर्श हुए। जमाबन्दी खतौनी दस्तावेज EX-6 To EX-9 प्रदर्श हुए साक्ष्य वादी में वादी पालाराम का शपथ पत्र अं0 आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2647 दिनांक 10.07.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नही है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 12 पी.टी.पी. खाता स 49/45 व चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 50/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 सहखातेदार हैं। वादग्रस्त आराजी में वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादीगण ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 2, 5ता10 बावजूद सूचना न्याया[illegible] हाजिर नही आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने [illegible] (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार [illegible] कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.09.07 12:3
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

...जिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नं. 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/41 में कुल 1.518 है. व खाता सं. 49/42 में कुल 1.518 है. मौका पर कब्जा काश्त की भूमि :-

1. पालाराम पुत्र मनीराम 1/2 हिस्सा ताराचन्द पुत्र मनीराम 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा रहिन एस.बी.आई. शाखा सादुलशहर

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
112/133	6	1/1/0.228 है., 1/2/0.025, गै.मु.रास्ता 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 8,9,10/0.253 है.प्र.।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, कुल 2.024 है.।

2. कौशल्या पत्नी आत्माराम 506/607 हि. विनोद कुमार पुत्र काशीराम 101/607 हि. जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	1/1/0.045, 1/2/0.005 है.गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.005 है. 9/0.253 है. 10/0.051 है. कुल 0.607 है. नहरी।

3. गीतादेवी पत्नी कृष्णदत जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	1/1/0.183, 1/2/0.020 है.गै.मु. रास्ता, 10/0.202 है. कुल 0.405 है.।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमें के मय निज ... निल ... मुब्लिक ... निल ... बाबत ... निल ... [illegible] शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ... [illegible] खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से क[illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 128/2021
वाद पत्र अं0 धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. पालाराम पुत्र मनीराम
2. ताराचन्द पुत्र मनीराम
3. गीतादेवी पत्नी कृष्णदत

} जाति समस्त जाट निवासीगण किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. कौशल्या पत्नी आत्माराम
2. विनोद कुमार पुत्र काशीराम

} जाति समस्त जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. मंजू पुत्री मोहनलाल
4. सरोज पुत्री मोहनलाल

} जाति समस्त जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. हजारी पुत्र नन्दराम जाति जाट
6. सुखाराम पि.मु. लिछमण जाति ब्राह्मण
7. भानाराम पुत्र सरदाराराम जाति ब्राह्मण

} निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नई धान मण्डी सादुलशहर
9. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा सादुलशहर
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा सादुलशहर
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 13.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बन्टुश बिश्नोई प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :–

चक नं. 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 48/41 में कुल 1.518 है. व खाता सं. 49/42 में कुल 1.518 है. मौका पर कब्जा काश्त की भूमि :–

1. पालाराम पुत्र मनीराम 1/2 हिस्सा ताराचन्द पुत्र मनीराम 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा रहिन एस.बी.आई. शाखा सादुलशहर

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
112/133	6	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 8,9,10/0.253 है.प्र.।
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, कुल 2.024 है.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:37:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

2. कौशल्या पत्नी आत्माराम 506/607 हि. विनोद कुमार पुत्र काशीराम 101/607 हि. जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	1/1/0.045, 1/2/0.005 है.गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.005 है. 9/0.253 है. 10/0.051 है. कुल 0.607 है. नहरी।

3. गीतादेवी पत्नी कृष्णदत जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
111/133	7	1/1/0.183, 1/2/0.020 है.गै.मु. रास्ता, 10/0.202 है. कुल 0.405 है.।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थग्न आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज..X..निल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत..X..निल..X..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X..को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13/8/24 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:00 IST
Reason: SelfAttested